नामान्तरण – अरुण कुमार प्र.क्र. 08/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-12-24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 3-1-25 को पेश हो।	
3.1.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के ... कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-1-25 को पेश हो।	
17.1.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी सुनी गई पत्रावली आदेश दिनांक 31.1.25 को पेश हो।	
	भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी	
	~~पत्रावील पेश । अपील अपीलांट..................... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जा... पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास ... प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद~~ तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	
31.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	
	भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 10/2024

1 मानाराम पुत्र मुरलीधर उम्र 69 साल जाति जाट निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर नवसृजित तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अरूण कुमार पुत्र केशरदेव जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद नवसृजित तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।
2 महिपाल सिंह पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी डालमास हाल आबाद भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास चन्दपुरा सांवली जिला सीकर।
3 बाबूलाल पुत्र पोखरमल (मृत)
3/1 मंगली पत्नी स्व. बाबूलाल
3/2 निशा पुत्री स्व. बाबूलाल
3/3 नेहा पुत्र स्व. बाबूलाल
3/4 अनूज पुत्र स्व. बाबूलाल
3/5 अवन्तिका पुत्री स्व. बाबूलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस हाल भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास सांवली जिला सीकर राज.।
4 रामेश्वरलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम नेछवा हाल केयर/ऑफ भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास सांवली जिला सीकर राज.।
5 मुरली पुत्र भेमा जाति जाट निवासी भैरूजी मोड़ पुलिस थाने के सामने रींगस जिला सीकर राज.।
6 शंकर पुत्र भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।
7 सन्तोष पत्नी स्व. झाबर जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 जड़ाव पत्नी स्व. भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।
9 सोनी पत्नी सुरजाराम पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।
10 फूलाराम पुत्र बीजाराम
11 चौथमल पुत्र बीजाराम
12 बनवारीलाल पुत्र बीजाराम
13 सुवालाल पुत्र बीजाराम
14 तीजा पत्नी बोदूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।
15 सांवरमल पुत्र महोदव सिंह जाति जाट निवासी खरेशिया की ढाणी भोपतपुरा पाना हाउस के पास रींगस जिला सीकर राज. पिन 332404
16 पोखरमल पुत्र भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।
17 नोपाराम पुत्र बालू
18 लालचन्द पुत्र मंगला
19 कैलाशचन्द पुत्र मंगला
20 बाबूलाल पुत्र मंगला
21 हीरालाल पुत्र मंगला
समस्त जाति जाट निवासीगण बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।
22 सुरज सिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कोटड़ी धायलान तहसील रींगस जिला सीकर राज.।
23 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस जिला सीकर राज.।
24 भूमिधारी तहसीलदार तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस सीकर पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार आरएएस बाबत मूकदमा उनवानी अरूण कुमार आदि बनाम मुरली आदि दावा संख्या 293/2023 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट।

अपील संख्या 16/2024

1 शंकर पुत्र भगवान सहाय उम्र 43 साल जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस तहसील रींगस जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अरूण कुमार पुत्र श्री केशरदेव सेवदा जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील सीकर जिला सीकर।
2 महिपाल सिंह पुत्र श्री बजरंगलाल पचार जाति जाट निवासी डालमास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 बाबूलाल (मृत)
3/1 मंगली पत्नी स्व. बाबूलाल
3/2 निशा पुत्री स्व. बाबूलाल
3/3 नेहा पुत्र स्व. बाबूलाल
3/4 अनुप पुत्र स्व. बाबूलाल
3/5 अवन्तिका पुत्री स्व. बाबूलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस हाल भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास सांवली जिला सीकर राज.।
4 रामेश्वरलाल पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नेछवा हाल सीकर राज.।
5 मुरली पुत्र श्री भेमा
6 सन्तोष बेवा झाबर
7 जडाव देवी बेवा भगवान सहाय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

8 सोनी बेवा सुरजाराम पुत्री श्योजीराम
9 बनवारीलाल पुत्र श्री धूड़ाराम
10 फूलाराम पुत्र श्री बोदूराम
11 चौथमल पुत्र श्री बोदूराम
12 बनवारीलाल पुत्र श्री बोदूराम (फौत)
12/1 सागरमल पुत्र स्व बनवारीलाल
12/2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व बनवारीलाल
12/3 अनिता पुत्री स्व. बनवारीलाल
12/4 श्रवणी पत्नी स्व. बनवारीलाल
13 सुवालाल पुत्र श्री बोदूराम
14 तीजा बेवा बोदूराम
15 मानाराम पुत्र श्री मुरलीधर
16 सांवरमल पुत्र श्री महोदव सिंह
17 पोखरमल पुत्र भगवान सहाय
18 नोपा पुत्र श्री बालूराम (फौत)
18/1 जगदीश पुत्र स्व नोपा
18/2 पतासी पुत्री स्व नोपा
18/3 बनवारी पुत्र स्व. नोपा
18/4 विनोद पुत्र स्व. नोपा
18/5 सुनिता पुत्री स्व. नोपा
18/6 सोनी पत्नी स्व नोपा
19 लालचन्द पुत्र श्री मंगला
20 कैलाशचन्द पुत्र श्री मंगला
21 बाबूलाल पुत्र श्री मंगला
22 हीरालाल पुत्र श्री मंगला
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रीगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
23 सुरजसिंह पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी ग्राम कोटडी धायलान तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
24 मेनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
25 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर दावा संख्या 293/2012 बउनवानी अरूण कुमार आदि बनाम मुरली आदि दिनांकित 13.02.2013 एवं तदन्तर्गत पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस बी.टी. नम्बर 1119/2023 दिनांकित 05.01.2024

अपील संख्या 60/2024

1 मुरली पुत्र श्री भेमा आयु 65 साल निवासी ढाणी बाज्यावाली वार्ड नम्बर 10 सरगोठ तहसील रींगस जिला सीकर राज.। 9950192584

अपीलांट

बनाम

1 अरूण कुमार पुत्र श्री केशवदेव सेवदा जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील व जिला सीकर राज.।
2 महिपाल सिंह पुत्र श्री बजरंग लाल पचार जाति जाट निवासी ग्राम डपालमास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 बाबूलाल पुत्र श्री पोखरमल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 रीगस तहसील रींगस जिला सीकर राज.। फौत
3/1 मंगली पत्नी बाबूलाल
3/2 निशा पुत्री बाबूलाल
3/3 नेहा पुत्री बाबूलाल
3/4 अनुज पुत्र बाबूलाल
3/5 अवन्तिका पुत्री बाबूलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर 5 रींगस तहसील रींगस जिला सीकर राज.।
4 रामेश्वर लाल पुत्र श्री लिछमणराम जाति जपाट निवासी नेछवा हाल सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
5 शंकर पुत्र भगवानसहाय
6 संतोष बेवा झाबर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 जडाव देवी बेवा भगवान सहाय
8 सोनी बेवा सुराजाराम पुत्री श्योजीराम
9 बनवारी लाल पुत्र धूड़ाराम
10 फुलाराम पुत्र बोदूराम
11 चौथमल पुत्र बोदूराम
12 श्रवणी देवी बेवा बनवारी
13 सुवालाल पुत्र बोदूराम
14 मानाराम पुत्र श्री मुरलीधर
15 सांवरमल पुत्र श्री महादेव
16 मंगला पुत्र नानूराम
17 नोपा पुत्र बालू फौत
पतासी उर्फ सोनी जगदीश विनोद सुनिता पुत्री नोपाराम
18 लालचन्द पुत्र मंगला
19 कैलाशचन्द पुत्र मंगला
20 बाबूलाल पुत्र मंगला
21 हीरालाल पुत्र मंगला
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रींगस तहसील रींगस जिला सीकर राज.।
22 सुरज सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति जाट निवासी कोटडी धायलान तहसील रीगस जिला सीकर राज.।
23 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रींगस जिला सीकर।
24 लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड इंचार्ज तहसीलदार रींगस जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.01.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रींगस जिला सीकर मुकदमा नम्बर 1119/2023 बउनवानी अरूण कुमार आदि बनाम मुरली आदि दावा बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 08/2021

1 मानाराम पुत्र मुरलीधर उम्र 69 साल जाति जाट निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर नवसृजित तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 अरूण कुमार पुत्र केशरदेव जाति जाट निवासी झीगर छोटी तहसील धोद नवसृजित तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर राज.।
2 महिपाल सिंह पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी डालमास हाल आबाद भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास चन्दपुरा सांवली जिला सीकर।
3 बाबूलाल पुत्र पोखरमल (मृत)
3/1 मंगली पत्नी स्व. बाबूलाल
3/2 निशा पुत्री स्व. बाबूलाल
3/3 नेहा पुत्र स्व. बाबूलाल
3/4 अनूज पुत्र स्व. बाबूलाल
3/5 अवन्तिका पुत्री स्व. बाबूलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण रींगस हाल भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास सांवली जिला सीकर राज.।
4 रामेश्वरलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम नेछवा हाल केयर/ऑफ भारतीय शिक्षण संस्थान सांवली सर्किल के पास सांवली जिला सीकर राज.।
5 मुरली पुत्र भेमा जाति जाट निवासी भैरूजी मोड़ पुलिस थाने के सामने रींगस जिला सीकर राज.।
6 शंकर पुत्र भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।
7 सन्तोष पत्नी स्व. झाबर जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

8 जड़ाव पत्नी स्व. भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।

9 सोनी पत्नी सुरजाराम पुत्र योजीराम जाति जाट निवासी बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।

10 बनवारीलाल पुत्र धूड़ाराम

11 फूलाराम पुत्र बीजाराम

12 चौथमल पुत्र बीजाराम

13 बनवारीलाल पुत्र बीजाराम

14 सुवालाल पुत्र बीजाराम

15 तीजा पत्नी बोदूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।

16 सांवरमल पुत्र महोदव सिंह जाति जाट निवासी खरेशिया की ढाणी भोपतपुरा पाना हाउस के पास रींगस जिला सीकर राज. पिन 332404

17 पोखरमल पुत्र भगवानसहाय जाति जाट निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आत्माराम लक्ष्य छात्रावास के पास रींगस जिला सीकर राज.।

18 नोपाराम पुत्र बालू

19 लालचन्द पुत्र मंगला

20 कैलाशचन्द पुत्र मंगला

21 बाबूलाल पुत्र मंगला

22 हीरालाल पुत्र मंगला

समस्त जाति जाट निवासीगण बाजिया कॉलोनी सिटी बस स्टेण्ड रींगस जिला सीकर राज.।

23 सुरज सिंह पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कोटड़ी धायलान तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

24 मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया   ाखा रींगस जिला सीकर राज.।

25 भूमिधारी तहसीलदार तहसील रींगस जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र वाजदायरी बाबत अपील संख्या 53/2013 को पुनः नम्बर पर लिए जाने अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व सपठित धारा 151 सीपीसी

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सुखदेव सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
4. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री चुन्नीलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
6. श्री अरूण कुमार सेवदा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
7. श्री महेश गोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 31.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर/रींगस द्वारा मुकदमा नम्बर 293/2023, 1119/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2013, 05.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। चारों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान है। अतः चारों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां चारों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अरूण, महिपाल, बाबूलाल, रामेश्वरलाल द्वारा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम रींगस की भूमि खसरा नम्बर 5381, 5382/2, 5395, 5396, 5398, 5399, 5461, 5463, 5383 से 5386, 5394, 5403, 5414, 5531, 5532, 5533 के सदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में तामील जारी होने पर प्रतिवादी संख्या 19 हीरालाल की जरिये वकील उपस्थिति रही है। शेष के विरूद्व विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 13.02.2013 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इस डिक्री के विरूद्व मानाराम प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से इस न्यायालय में अपील संख्या 53/2013 प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 20.12.2018 को अदम हाजरी में खारिज हो गई। इस अपील का वाजदायरी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन संख्या 08/2021 है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2024 को प्रकरण में पुनः संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 12 मानाराम की ओर से अपील संख्या 10/2024, प्रतिवादी संख्या मुरली की ओर से अपील संख्या 60/2024 एवं प्रतिवादी संख्या 2 शंकर की ओर से अपील संख्या 16/2024 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व तमाम कानूनी बिन्दुओं को पूर्णतया नजर अन्दाज किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी वाद पत्र के न्याय-निर्णय के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया (**Procedural Law**) की कतई पालना नहीं की गयी जिसके अनुसार वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर तथा उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने पर उक्त दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद-प्रश्न (**Issues**) कायम किये जाते है तथा फिर उभयपक्ष को उन वाद प्रश्नों को साबित करने के लिए दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया जाकर तथा दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य रिकार्ड करवाये जाने के बाद प्रत्येक वाद बिन्दू के आधार पर गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस श्रवण की जाकर उक्त वाद-बिन्दुओं के अनुसरण में प्रकरण का गुणावगुण पर मनन कर वाद पत्र का निर्णय किया जाता है परन्तु बड़े हास्य का विषय है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी उसी दिन तमाम कानूनी प्रक्रिया की ताक में रखकर बिना विचार किये ही प्रारम्भिक डिक्री जारी करने का आदेश भी जारी किया गया जो आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री आदेश दिनांकित 13.02.2013 में पृथक से कोई निर्णय तक नहीं लिखा गया तथा ना ही कोई डिक्री ही बनायी गयी जो सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया का मखौल बनाया जाना प्रतीत होता है। अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 12 द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के माध्यम से यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी तमाम आराजीयात के 1/72 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा पक्षकारान में काफी वर्षो पूर्व ही मौके पर बाह्मी बंटवारा कर रखा है तथा अलग से नींव सींव तथा कदीमी डोल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर

डण्ड कायम कर रखा है जिसके अनुसार विशेष कथन की मद संख्या 3 में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया कि प्रतिवादी नम्बर 12/अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 5381 रकबा 0.29 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 5382/1 रकबा 7.01 हैक्टेयर में 0.22 हैक्टेयर भूमि पर उत्तरी तरफ मुख्य सड़क पर पूरब–पश्चिम लम्बाई में कब्जा चला आ रहा है। जिस पर मानाराम अपीलान्ट ने एक ढ़ाबा बना रखा है तथा खाधा लाईसेंस प्राप्त कर रखा है नल, बिजली का कनेक्शन भी काफी वर्षों से प्राप्त कर रखा है। इस प्रकार का स्पष्ट अभिवचन प्रकट होने पर कानूनन विचारण न्यायालय का तनकी कायम कर उस पर उभयपक्ष की साक्ष्य रिकार्ड पर लेकर ही प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति का मखौल उड़ाकर मनमाने ढंग से वाद–पत्र डिक्री किया गया है जो निर्णय/डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 भूमि के अजनबी क्रेता है जो संयुक्त खातेदारी की आड़ में अपीलान्ट की हक–हिस्से/कब्जे की सड़क पर अवस्थित कीमती भूमि हड़पना चाहते है। जिसका उन्हें कोई कानूनी हक नहीं ह। इस कारण भी आज्ञा निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से विद्यमान था कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां प्रस्तुत वाद की अपील/वाजदायरी में सुनवायी लंबित है इसके बावजूद बिना किसी कानूनी आधार के ही बिना पृथक से कोई निर्णय लिखवाए ही तथा बिना उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विचार किए ही कतई गलत रूप से तमाम विधिक कानूनी प्रकिया को ताक में रखकर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की गयी है। इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री स्पष्टतया निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। वाजदायरी आवेदन एवं संपूर्ण अपीले स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना में सम्यक तामील के उपरांत विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

की प्राथमिक डिक्री से किसी भी अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव के समय एवं विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर शेष है। अपीलांट मानाराम प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2018 में अपील अदम हाजरी में खारिज होने के उपरांत 2021 में वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपील एवं वाजदायरी आवेदन के विलम्ब से प्रस्तुत करने का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में कुल 20 प्रतिवादीगण थे इनमें से केवल 3 प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना में सम्यक तामील के उपरांत विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री से किसी भी अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। अपीलांट के पास विभाजन प्रस्ताव के समय एवं विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर शेष है। अपीलांट मानाराम प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2018 में अपील अदम हाजरी में खारिज होने के उपरांत 2021 में वाजदायरी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपील एवं वाजदायरी आवेदन के विलम्ब से प्रस्तुत करने का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में कुल 20 प्रतिवादीगण थे इनमें से केवल 3 प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इमसें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट एवं वाजदायरी आवेदन खारिज किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 31.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर